न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बँटवारा वाद सं0–70 सन् 2024

विकाश कुमार.....वादी

ब ना म

मोतीलाल राय वगैरह.....प्रतिवादी।

दिनांक–14.07.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से अंदर आदेश 01 नियम 10 वो 17 वो भी 151 सी0 पी0 सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक– 22.03.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद वादी ने 1/18 हिस्सा बावत एराजी मुन्दर्जे सिडिउल नं0–01 पर प्रिलिमिनरी बँटवारा की डिग्री बहक फिदवी बरखिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाने वाद दायर किया है। वादी का आवेदन अर्जीदावी का अंश समझा जाएगा। सिडिउल नं0 01 में दर्ज फिदवी वादी के पूर्वज द्वारा खरिदगी भूमि है जो पूर्वज क समय से इजमालन कब्जा दखल में है। अभी तक मोकम्मिल बँटवारा नहीं हुआ है वो यूनिटी ऑफ टाईटिल वो पोजेशन कायम है। यही वजह है कि वादी ने मोकम्मिल वो पक्का बँटवारा हेतु वाद दायर किया है। पूर्व में दिनांक–12.02.2025 को वादी ने प्रतिवादी सं0–03 के विरूद्ध इंतनाई आवेदन भी दाखिल किया है, जो विचाराधिन है। इसके बावजूद भी बिना मोकम्मिल वो पक्का बँटवारा के हिस्से से ज्यादा गलत, रकवा चौहद्दी वो विवरण के साथ वो भी कुल मजबुन गलत बयान करके प्रतिवादी सं0–03 पिन्टु कुमार ने सिडिउल नं0–01 में दर्ज भूमि में से खाता सं0–120, खेसरा नं0–1533, रकवा 10 धुर वो भी खाता नं0–51, खेसरा नं0–1532, रकवा–10 धुर भूमि दबंग वो भूमाफिया अमित कुमार तथाकथित निबंधित बैनामा दिनांक–15.02.2025 का डिड नं0–725 के द्वारा लिख दिया है। न्यायहित में लेख्यधारी को अर्जीदावी में प्रतिवादी सं0–15 के बाद प्रतिवादी सं0–16 प्रतिवादी फरीक के रूप में पक्षकार बनाना वो भी उसके मुतबिक अर्जीदावी में संशोधन करना आवश्यक है। नहीं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादी सं0–03 ने मुकदमा के दौरान जान बूझकर बिना खास कब्जा दखल के वो भी बिना मोकम्मिल बँटवारा के साजिश के

तहत गलत रकवा, चौहद्दी देकर लेख्यधारी के हाथो तथाकथित निबंधित बैनामा किया है जो नाजायज फरेबी, जालशाजी है। जिसकी कोई पाबंदी वादी पर नहीं है। लेख्यधारी को पक्षकार नहीं बनाने से तथाकथित बैनामा के मुताबिक अर्जीदावी में संशोधन नहीं करने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सवाल मरम्मतनामा के आवेदन को स्वीकार करने की कृपा की जावे।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0–03 पिन्टु कुमार ने सिडिउल नं0–01 में दर्ज भूमि में से खाता सं0–120, खेसरा नं0–1533, रकवा 10 धुर वो भी खाता नं0–51, खेसरा नं0–1532, रकवा–10 धुर भूमि दबंग वो भूमाफिया अमित कुमार तथाकथित निबंधित बैनामा दिनांक–15.02.2025 का डिड नं0–725 के द्वारा लिख दिया है। न्यायहित में लेख्यधारी को अर्जीदावी में प्रतिवादी सं0–15 के बाद प्रतिवादी सं0–16 प्रतिवादी फरीक के रूप में पक्षकार बनाना वो भी उसके मुतबिक अर्जीदावी में संशोधन करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु उक्त व्यक्तियों को इस वाद में प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.03.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।